प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2025
थाना रामगंज जनपद अमेठी
थानाक्षेत्र रामगंज में ट्रैक्टर से गिरकर एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत ट्रैक्टर मलिक व लेबर द्वारा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतक के परिजन को बताये बिना शव को सड़क के किनारे रखकर भाग जाने के संबंध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.09.2025 को वादी श्री मुकेश कुमार पुत्र रामबहाल निवासी ग्राम अग्रेसर पनवरिया थाना रामगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना रामगंज पर लिखित तारीख दी गई की दिनांक 04.09.2025 को उनके पिता रामबहाल पुत्र रामसुख उम्र करीब 45 वर्ष गांव के त्रिलोकी नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 लालू प्रसाद के ढ़लाई मशीन पर मजदूरी कार्य करने के लिए गए थे उन्हीं के ट्रैक्टर से वापस आ रहे थे तभी ड्राइवर की लापरवाही से ट्रैक्टर से नीचे गिर गए जिससे गम्भीर चोट लगने के कारण उनके पिता रामबहाल की मृत्यु हो गई उक्त प्रार्थना पत्र पर थाना रामगंज पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 281,106 बीएनएस बनाम ट्रैक्टर चालक अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा मुकदमें से संबंधित वादी, चश्मदीद गवाह, कस्बा रामगंज व प्राइवेट अस्पताल दुर्गापुर के सीसीटीवी फुटेज को देखने से पाया गया कि मृतक रामबहाल पुत्र रामसुख निवासी अग्रेसर पनवरिया थाना रामगंज जनपद अमेठी की केनरा बैंक के सामने ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने के उपरान्त घर वालों को बिना बताये कस्बा दुर्गापुर बाजार प्राइवेट अस्पताल उपचार हेतु ले गये वहाँ से डाक्टर ने जवाब दे दिया। जिसके बाद सुलतानपुर इलाज के लिये ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद ट्रैक्टर मालिक त्रिलोकी नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम अग्रेसर थाना रामगंज जनपद अमेठी द्वारा अपने लेबर नन्हेलाल पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम साँगापुर थाना रामगंज जनपद अमेठी से मृतक का साइकिल व चप्पल भेजा गया तथा जय प्रकाश पुत्र रोघई निवासी ग्राम रायपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी व सुरजीत पुत्र पूर्णवासी निवासी ग्राम खरगीपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी के द्वारा शव को लेबरों के मोटरसाइकिल से साक्ष्य छुपाने हेतु मृतक के शव को गाँव भेजा गया। लेबरों द्वारा गाँव के बाहर सड़क के किनारे साइकिल, चप्पल व शव को छोड़कर अपने अपने घर चले गये और किसी के द्वारा इस एक्सीडेंट के बारे में मृतक के परिवारीजन को सूचना नहीं दिया गया तथा ट्रैक्टर मालिक त्रिलोकी नाथ मिश्रा द्वारा यह जानते हुये कि मृतक गाँव का ही है और इन्ही के लिंटर ढलाई मशीन पर कार्य करता है फिर भी उनके परिजनों को सूचना नहीं दिया गया जिसके आधार पर व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(2)V क एससी/एसटी एक्ट व 238 बीएनएस के अपराध का सृजित होना पाया गया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(2)V क एससी/एसटी एक्ट व 238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। साक्ष्य से अभियुक्तगण 1.त्रिलोकी नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम अग्रेसर थाना रामगंज जनपद अमेठी, 2.नन्हेलाल पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम साँगापुर थाना रामगंज जनपद अमेठी, 3.जय प्रकाश पुत्र रोघई निवासी ग्राम रायपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी, 4.सुरजीत पुत्र पूर्णवासी निवासी ग्राम खरगीपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी का नाम प्रकाश में आया। अभियोग उपरोक्त में अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 281/106/238 बीएनएस व 3(2)V क एससी/एसटी एक्ट अभियुक्त 1.त्रिलोकी नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम अग्रेसर थाना रामगंज जनपद अमेठी के विरूद्ध एवं धारा 281/106/238 बीएनएस में अभियुक्तगण 2.नन्हेलाल पुत्र श्री बृजलाल निवासी ग्राम साँगापुर थाना रामगंज जनपद अमेठी, 3.जय प्रकाश पुत्र रोघई निवासी ग्राम रायपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी, 4.सुरजीत पुत्र पूर्णवासी निवासी ग्राम खरगीपुर थाना रामगंज जनपद अमेठी के विरूद्ध की जा रही है।